ISO-9001:2008

हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

हापुड़

आनन्द विहार आवासीय योजना के सामुदायिक केन्द्र को Outsource Agency के माध्यम से संचालन हेतु लाइसेंस पर दिए जाने हेतू महत्त्वपूर्ण निर्देश

सामुदायिक केन्द्र, आनन्द विहार आवासीय योजना

विवरण पुस्तिका

एवं

आवेदन पत्र

PROSPECTUS AND APPLICATION FORM

प्राधिकरण द्वारा आनन्द विहार आवासीय योजना में निर्मित सामुदायिक केन्द्र को संचालन हेतु लाइसेन्स पर दिये जाने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1. नीलामी में प्रतिभाग हेतू धरोहर राशि रू0 5.00 लाख एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करनी होगी एवं बोली हेतू न्यूनतम आरक्षित दर रू014,60,000/- निर्धारित है।
2. सामुदायिक केन्द्र " जैसा है जहाँ" के आधार पर संचालन हेतु लाइसेन्स के आधार पर दिया जायेगा। आवश्यक सभी साज-सज्जा/ इन्फ्रास्ट्रक्चर लाईसेन्सी को स्वयं ही करने होगें।
3. सामुदायिक केन्द्र का अनुरक्षण एवं संचालन लाईसेन्सी द्वारा स्वयं अपने खर्चे पर किया जायेगा तथा स्थल की भली भांति मरम्मत एवं प्राधिकरण के अभियन्त्रण विभाग तथा उद्यानिक विभाग की संतुष्टि के अनुरूप उत्तम स्थिति में रख-रखाव का दायित्व लाईसेन्सी का होगा।
4. लाईसेन्सी द्वारा मौके पर इस प्रकार की व्यवस्था की जायेगी की किसी भी प्रकार का विरोध उत्पन्न ना होने पावे तथा पर्यावरण स्वच्छ रहे। लाईसेन्सी द्वारा सामुदायिक केन्द्र मे होने वाले आयोजन हेतु पर्यावरण प्रदूषण रहित रखने के लिए The noise pollution (regulation and control) अधिनियम 2000 का सम्यक अनुपालन किया जायेगा। पालिथिन निर्मित वस्तुएं पूर्णत प्रतिबंधित रहेंगी तथा उसके उल्लघंन पर अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा।
5. सामुदायिक केन्द्र के मूल स्वरूप/प्लान को परिवर्तित नहीं किया जायेगा। वनस्पतियों/लॉन/वृक्षों को डिस्टर्ब नहीं किया जायेगा। सामुदायिक केन्द्र के अन्दर के अधिकार एवं पार्किगं का संचालन लाईसेन्सी का होगा।
6. अनुरक्षण वार्षिक रंगाई पुताई विद्युत/जल आपूर्ति के फिटिंग /फिक्चर तथा फर्नीचर आदि की मरम्मत / प्रतिस्थापना लाईसेन्सी द्वारा ही किया जायेगा।
7. सामुदायिक केन्द्र संचालन की अवधि अनुबन्ध की तिथि से 3 वर्ष तक है।
8. निर्धारित अवधि समाप्त होने की तिथि के उपरान्त लाईसेन्सी के साथ निष्पादित अनुबन्ध में दी गयी अनुमति एवं समस्त अधिकार पूर्णतः समाप्त हो जायेगें। इसके उपरान्त लाईसेन्सी को सामुदायिक केन्द्र को किसी भी रूप में प्रयोग करने अथवा मौके पर बने रहने का अधिकार नहीं होगा। यदि लाईसेन्सी फिर भी मौके पर किसी भी रूप में बना रहता है अथवा अपना सामान नहीं हटाता है तो उसे रूपया 10000/- प्रतिदिन की दर से हर्जाना प्राधिकरण को देना होगा।

9. लाईसेन्सी को अग्रिम प्रतिभूति के रूप में वार्षिक किराये के बराबर की धनराशि प्राधिकरण के पक्ष में जमानत धनराशि के रूप में जमा करनी होगी जो कि संचालन अवधि समाप्त होने के पश्चात सामुदायिक केन्द्र संतोषजनक होने की स्थिति में वापस कर दी जायेगी।

10. लाईसेन्सी द्वारा जो धनराशि वार्षिक किराये के रूप में निविदा अथवा नीलामी में अंकित की जायेगी वार्षिक 10 प्रतिशत की वृद्धि के अनुसार अगली वार्षिक देयता निर्धारित की जायेगी।

11. संचालन की अवधि में जो भी Tax Liability यथा जी.एस.टी., मनोरंजन कर तथा हाउस टैक्स आदि होगी वह भी लाईसेन्सी द्वारा ही देय होगी।

12. लाईसेन्सी का सामुदायिक केन्द्र स्थल का भौतिक प्रयोग करने हेतु अनुबन्ध विलेख को उप-निबन्धक, हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़ में प्रस्तुत करना होगा। इसके उपरान्त ही आर्फर लाईसेन्सी को सामुदायिक केन्द्र का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त होगी।

13. लाईसेन्सी को सामुदायिक केन्द्र जिसके सम्बन्ध में अनुबन्ध निष्पादित होगा उसमें किसी प्रकार का स्वामित्व अथवा पदाधिकार प्राप्त नहीं होगा तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि उसे केवल प्रयोग करने का लाईसेन्स प्रदान किया जा रहा है जो किसी भी समय संतोषजनक स्थिति न होने पर उपाध्यक्ष, हापुड़ - पिलखुवा विकास प्राधिकरण के विवेकानुसार निरस्त किया जा सकता है। जिसके विरूद्ध लाईसेन्सीको किसी चुनौती का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

14 यह कि अनुबन्ध विलेख को पंजीकृत कराने में होने वाले स्टाम्प आदि का व्यय लाईसेन्सी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

15. यह कि लाईसेन्सी अनुबन्ध विलेख में अंकित सभी नियम व शर्तो को मानने एवं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु स्वतंत्र मस्तिष्क से स्वयं को आबद्ध करेगा एवं लाईसेन्सी द्वारा अनुबन्ध विलेख में प्रावधानित किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर उपाध्यक्ष द्वारा लगाये हुए जुर्माने का वह देनदार होगा।

16. सामुदायिक केन्द्र में फूड कोर्ट/किचन एरिया में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के स्टॉल का संचालन लाईसेन्सी कर सकेगा।

17. सामुदायिक केन्द्र सामाजिक एवं अन्य कार्यो हेतु दैनिक आधार पर आरक्षित किये जा सकते है। ऐसे कार्यक्रम जिसमे कानून व्यवस्था का प्रश्न निहित है, जिलाधिकारी की अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा। शादी विवाह का आयोजन नियमानुसार अनुमन्य होगा।

18. वाहनों की पार्किंग निर्धारित स्थल पर ही अनुमन्य होगी । यदि किसी आयोजन के समय निर्धारित स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर वाहनो की पार्किंगं पायी जाती है तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

19. यह कि प्रश्नगत स्थल निजी ऐसे उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जायेगा जो संविधान सम्मत न हो तथा जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असामाजिक एवं आंतकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता हो या देशद्रोह की भावना व्यापत होने की संभावना हो जिससे भारतीय संम्प्रभुता, एकता, अखण्डता पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ना सम्भावित हो या पडे अथवा किसी समुदाय/धर्म की भावनाओं को आहत होने की संभावना हो तथा शान्ति व्यवस्था भंग होने की आंशका हो।

20. बिजली के उपयोग हेतु विद्युत विभाग से लाईसेन्सी को अपने नाम से वांछित भार का विद्युत कनेक्शन प्राप्त करना होगा। विद्युत एवं जल व सीवर संयोजन के नियमित बिलों का भुगतान एवं अन्य अधिभार/ कर लाईसेन्सी द्वारा वहन किया जायेगा। समारोह/आयोजन के समय अतिरिक्त विद्युत भार की आवश्यक्ता पड़ने पर जनरेटर आदि की व्यवस्था लाईसेन्सी द्वारा स्वयं की जायेगी।

21. यह कि किसी भी स्थिति में दोनों पक्षकारों (प्राधिकरण तथा लाईसेन्सी) के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रकरण उपाध्यक्ष हापुड़- पिलखुवा विकास प्राधिकरण को सौपां जायेगा, जिसे या तो वे स्वयं अथवा किसी ऑर्बीट्रिटर के माध्यम से निर्णय देने हेतु निर्देशित कर सकेगें तथा उक्त ऑर्बीट्रिटर द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षकारों को मान्य एवं विधिक रूप से प्रभावी होगा।

22. यह कि किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्राधिकार हापुड़ नगर स्थित माननीय न्यायालयों में निहित होगा।

23. संचालन की अवधि समाप्त होने के बाद संचालक द्वारा कोई टूट फूट अथवा अन्य मद से अवशेष बनता है तो उसे जमानत राशि से काटकर बिना ब्याज के शेष जमानत राशि का भुगतान किया जायेगा।

24. यह कि लाईसेन्सी को किराया छमाही किश्तों के रूप में देना होगा तथा अग्रिम किराया छमाही के प्रथम सप्ताह के अन्दर जमा कराना होगा। निर्धारित अवधि के अन्दर किराया जमा न करने की स्थिति में 15 प्रतिशत ब्याज देय होगा। दो माह तक किराया जमा न करने की स्थिति में सिक्योरिटी की धनराशि स्वयं जब्त हो जायेगी तथा लाईसेन्सी का अनुबन्ध निरस्त कर हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण किसी अन्य को आंवटित करने हेतु स्वतंत्र होगा, जिस हेतु लाईसेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

25. हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण कर्मियों को अपने रक्त संबधियों हेतु किराये में 50 प्रतिशत की छूट लाईसेन्स धारक को देनी होगी।

26. प्राधिकरण ऑफिस उपयोग हेतु सामुदायिक केन्द्र के किराये में 100 प्रतिशत छूट लोइसेन्स धारक को देनी होगी।

27. आनन्द विहार आवासीय योजना के निवासियों हेतु किराये में 10 प्रतिशत छूट लाईसेन्स धारक को देनी हागी।

28. परिसर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को किसी दुर्घटना से हुई शारीरिक क्षति के प्रति यदि कोई क्षतिपूर्ति चिकित्सा देयता बनती है तो वह लाईसेन्सी द्वारा वहन की जायेगी।

29. परिसर में कानून व्यवस्था/शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले एवं अमर्यादित आचरण करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध विधि संगत कार्यवाही कराने का अधिकार लाईसेन्सी के पास होगा।

30. संचालन की अवधि (3 वर्ष) समाप्त होने पर परिसर को प्राधिकरण को मूल रूप से वापस करना होगा परिसर पूर्णतया लाइसेन्स के आधार पर दिया जा रहा है, जिस पर सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होगें व हरगिज भी परिसर का किरायेदार नहीं कहलायेगा। परिसर को चूकि लाइसेन्स पर दिया जाना है , इस कारण लाइसेन्स की शर्तो का उल्लघंन करने पर निरस्त किया जा सकता है।

31. यदि लाइसेन्स धारक द्वारा परिसर में क्षति पंहुचाई जाती है तो प्राधिकरण के द्वारा क्षति का आकलन कर क्षतिपूर्ति की धनराशि लाईसेन्सी की जमानत राशि से कटौती कर ली जायेगी। यदि क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा धनराशि से अधिक है तो क्षतिपूर्ति की राशि में जमा धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि की वसूली लाइसेन्स धारक से उ0प्र0 लोकधन देयकों की वसूली अधिनियम के अन्तर्गत वसूली प्रमाण पत्र प्रेषित कर वसूली की जा सकती है। इस सम्बन्ध में लाईसेन्स धारक को आपत्ति करने का कोई अधिकार न होगा।

32. प्रश्नगत सामुदायिक केन्द्रों के अनुबन्ध उपरान्त यदि आवेदक अनुबन्ध की निर्धारित अवधि से पूर्व अनुबन्ध निरस्त करने का अनुरोध करता है तो उसकी जमा जमानत राशि जब्त करते हुए अनुबन्ध निरस्त किया जायेगा।

33. इस परिसर का स्वामित्व हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण को यथावत रहेगा।

34. समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा दिये गये निर्देश ऑफरदाता को मान्य होगे।

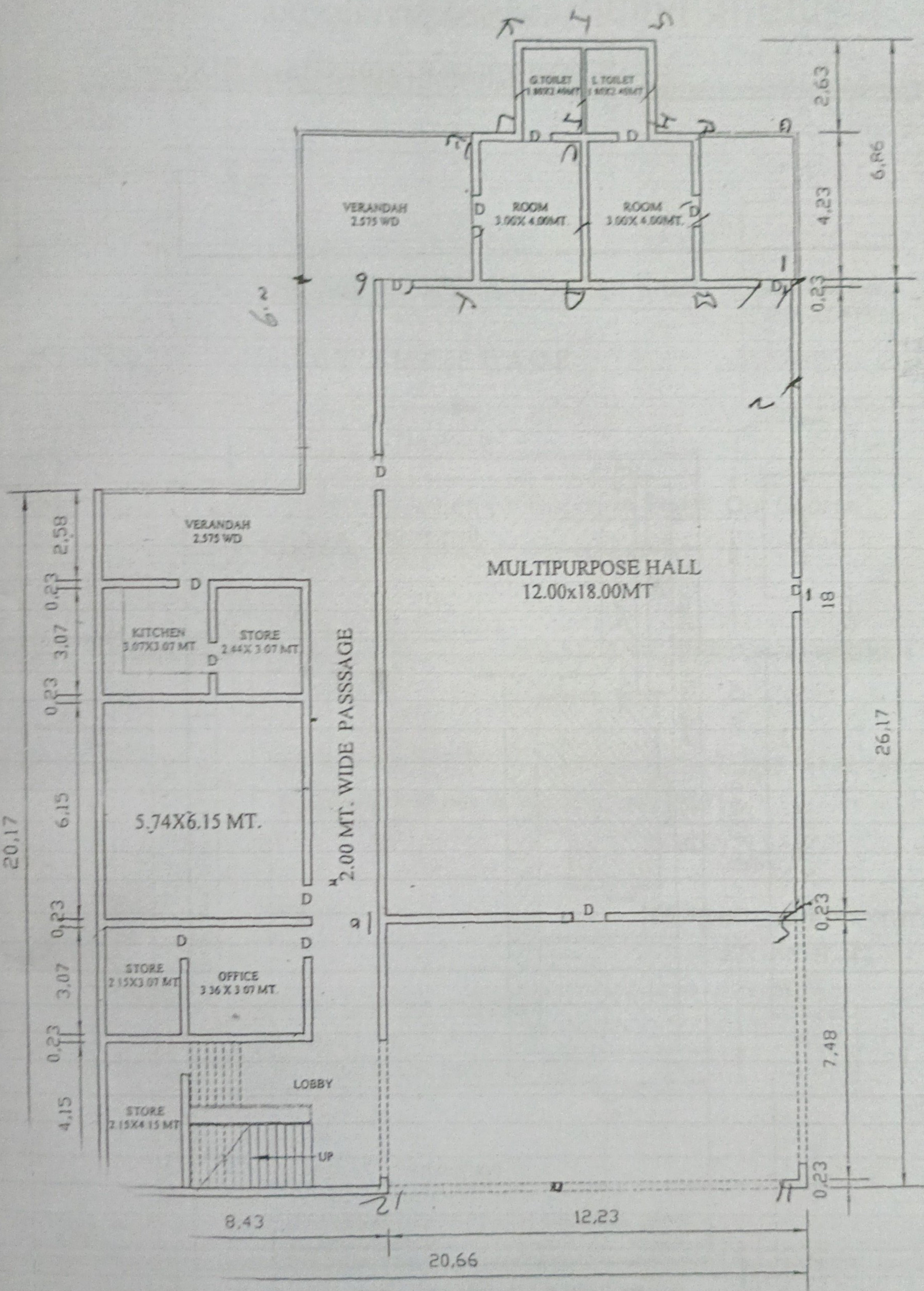

COMMUNITY CENTRE
AT
ANAND VIHAR RESIDENTIAL YOJNA

COMMUNITY CENTRE
AT
ANAND VIHAR RESIDENTIAL YOJNA

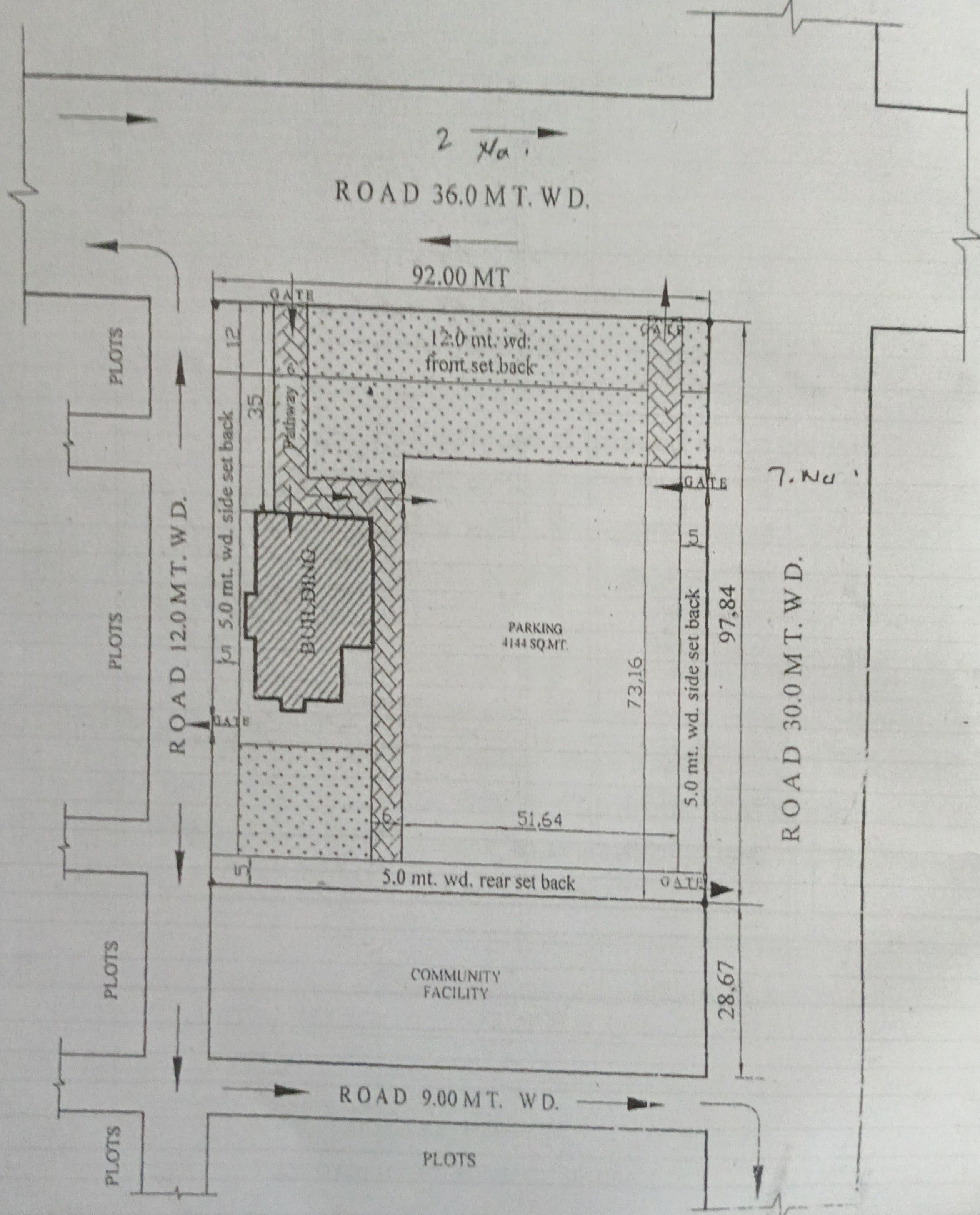

हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

ISO-9001:2008

04

आवेदक का पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ

निविदा सह खुली बोली आवेदन – पत्र

कार्य का नाम – आनन्द विहार मे निर्मित सामुदायिक केन्द्र को Out Source Agency के माध्यम से संचालन करने हेतु।

निविदा का दिनांक व स्थान .... प्रातः 11:30 बजें, प्राधिकरण का कार्यालय।

धरोहर राशि का विवरण आवेदक द्वारा रू 5,00,000/- जो उपाध्यक्ष हापुड़ -पिलखुवा विकास प्राधिकरण के नाम से एफ.डी.आर. के रूप में स्वीकार होगी।

क्रं. सं.	विवरण	निविदाता द्वारा दिया गया आफर (रूपये में)
1.	आनन्द विहार योजना में निर्मित सामुदायिक केन्द्र का Out Source Agency के माध्यम से संचालन करने हेतु प्रथम वर्ष के लिए लाइसेन्स फीस	
शब्दों में धनराशि (रू...)		

दिनांक :

हस्ताक्षर

नाम/प्रतिनिधि/ फर्म का नाम

सामान्य नियम व शर्ते:

1. इच्छुक आवेदक को चाहिए कि निविदा में भाग लेने से पूर्व सामुदायिक भवन का निरिक्षण करते हुए विशेष नियम व शर्तो का भलि-भांति अध्यन कर लें।
2. आवेदक को अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड अथवा अपने पतें को प्रमाणित करने का विधिक साक्ष्य तथा पैन कार्ड की प्रति आवेदन के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य है।
3. निविदादाता द्वारा अपना ऑफर दो भागो में दिया जायेगा। पहला ऑफर निर्धारित प्रारूप पर सीलबन्द लिफाफे में निविदा की निश्चित दिनांक व समय पर सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। तदोपरान्त अधिकतम निविदा मूल्य के पश्चात खुली बोली में भी भाग लिया जा सकता है।
4. आनन्द विहार योजना के सामुदायिक केन्द्र का आरक्षित वार्षिक लाइसेन्स शुल्क रू0 14.60 लाख निर्धारित है।
5. सबसे ऊँची बोली लगाने वाले व्यक्ति/फर्म आदि को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त सफल घोषित किया जायेगा।
6. सफल निविदाता को जमानत राशि के रूप में वार्षिक किराये के बराबर की धनराशि उसके पक्ष में स्वीकृति उपरान्त 15 दिन के अन्दर प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। यह जमानत धनराशि नकद अथवा एफ.डी.आर. के रूप में ही स्वीकार होगी, जिसमें निविदा के समय दी गयी धरोहर धनराशि का समायोजन किया जा सकेगा।
7. वांछित जमानत धनराशि जमा कराने के पश्चात अनुबन्ध विलेख निष्पादित करने के उपरान्त ही सामुदायिक केन्द्र उपयोग करने की अनुमति दी जोयगी।
8. असफल प्रतिभागीयों की धरोहर धनराशि 15 दिन के अन्दर वापस कर दी जायेगी।
9. यदि सफल निविदादाता द्वारा वांछित जमानत धनराशि का भुगतान निर्धारित समयावधि में नहीं किया जाता है तो उसकी निविदा के समय दी गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
10. निविदा स्वीकृत /अस्वीकृत यथा निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष , हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण को निहित होगा तथा किसी विवाद की स्थिति में उपाध्यक्ष , हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा तथा मान्य होगा।

(प्रभारी अभियन्त्रण)